न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2018
RCMS No- 2018/00030

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
हिम्मतसिंह पुत्र श्री मूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कण्टालिया, तहसील मारवाड जंक्शन, जरिये आम मुख्तीयार भगवतसिंह पुत्र श्री हनुवन्तसिंह, जाति राजपूत, निवासी कण्टालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारक), मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री महेन्द्रसिंह चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22/2/2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम वोपारी के नामान्तरकरण संख्या 117 पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम वोपारी, तहसील मारवाड जंक्शन में अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी कब्जा काश्त की थी। इस भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सोजत के आदेश दिनांक 7.12.1976 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 117 दिनांक 31.10.1977 को स्वीकृत किया गया है। जिसके तहत उक्त आराजी भूमि सिवाय चक राजस्थान सरकार के नाम कुल 09 खसरा के 115 बीघा 14 बिस्वा दर्ज की गई थी। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, सोजत के आदेश दिनांक 7.12.1976 के बनवान सरकार बनाम अभयसिंह में पारित निर्णय अनुसार उक्त कृषि भूमि सिंलिंग के तहत अधिग्रहित की गई है। जिसके आधार पर श्रीमान नायब तहसीलदार खारची के द्वारा म्युटेशन संख्या 117 स्वीकृत दिनांक 31.10.1977 को सिवाय चक दर्ज की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के यहा अपील पेश की गई जिसमें अपील संख्या 285/1977 बनवान मूल सिंह बनाम सरकार है उक्त अपील को सुनवाई करते हुए श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 30.12.1980 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सोजत को पुनः रिमाण्ड करने का आदेश प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व श्रीमान राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी राज्य सरकार द्वारा की गई। जिसमें निगरानी संख्या 3/1981 बनवान सरकार बनाम मूलसिंह में न्यायालय द्वारा दिनांक 15.4.1984 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें निगरानी खारिज की गई। जिसके कारण श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश प्रभावी रहा। जिसके कारण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश की पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 117 स्वीकृत दिनांक 31.10.1977

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अप्रभावी हो चुका है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना कानुनन आवश्यक एंव न्याय संगत हैं। उक्त नामान्तरकरण का प्रभाव शुन्य हो जाने से सिवाय चक भूमि का नामान्तरकरण को पुनः खातेदार के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं कानुनन आवश्यक है। लेकिन श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के आदेश की पालना तहसीलदार साहब एंव उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पुर्व में जारी किया गया नामान्तरकरण निरस्त कर पुनः खातेदार के नाम इन्द्राज नही किया गया। वर्तमान मे अपीलाण्ट भूमि पर कब्जा काश्त है। लेकिन तहसीलदार एवं पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट को रेकर्ड का हवाला देते हुए दिनांक 15.1.2018 को अपीलाण्ट को आराजी भूमि से हटाने की कार्यवाही की। तब अपीलाण्ट द्वारा रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त की, जिसके पश्चात अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं। चूंकि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित आदेश को ही अपास्त किया जा चुका है तथा इस कारण उक्त आदेश की पालना में दायर नामान्तरकरण स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका हैं, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण को खारिज़ नहीं किए जाने के कारण अपीलाण्ट को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता हैं। जैर अपील विवादित आराजी पर आज भी अपीलाण्ट ही काबिज काश्त हैं। अतः अपील स्वीकार करावे एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1980 के अनुक्रम में भूमि पुनः अपीलाण्ट के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी सोजत के आदेश की पालना में दायर किया गया है तथा सिलिंग प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। जिसके चलते राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा सिलींग प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 07.12.1976 को निर्णय पारित करते हुए भूमि सिलींग में अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में अपील दायर करवाई गई, जो अपील संख्या 205/1977 मूलसिंह बनाम सरकार के नाम से दायर की गई, उक्त अपील में दिनांक 30.12.1980 को निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी सोजत को रिमाण्ड किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस आदेश की पालना में रेकर्ड में जो परिवर्तन किए गए हैं, उस आदेश को सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने पर, उक्त आदेश के अनुक्रम में की गई समस्त कार्यवाही पूर्ववत स्थिति में बहाल हो जाती है। हस्तगत प्रकरण में जैर अपील नामान्तरकरण सिलिंग प्रकरण सरकार बनाम अभयसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 07.12.1976 की पालना में दायर किया गया है। उक्त निर्णय को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधुपर द्वारा दिनांक 30.12.1980 को अपास्त किया जा चुका है। इस प्रकार कानूनन प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 117 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश स्वतः अपास्त हो चुका है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रद्दोबदल नही किया गया है, जो कानूनन उचित नही है। दिनांक 30.12.1980 को पारित निर्णय के अनुक्रम में उक्त भूमि में दिनांक 07.12.1976

अति० जिला कलेक्टर, पाली

से पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी है। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाना न्यायोचित [redacted] है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम [redacted] के नामान्तरकरण संख्या 117 पर नायब तहसीलदार खारची द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.1977 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली